भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1121**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की आपूर्ति

1121. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है, जो यह संकेत करती हैं कि कई राज्यों में उर्वरकों की आपूर्ति में भारी कमी हो रही है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है कि किसानों को उर्वरक आसानी से उपलब्ध हों और उन्हें काला बाजार में अत्यधिक कीमतें न चुकानी पड़ें; और
(ग) क्या नैनो उर्वरकों के अलावा अन्य कोई बेहतर उर्वरक किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): चल रहे खरीफ मौसम 2025 के दौरान देश में उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

भारत में उर्वरकों की स्थिति (22.07.2024 की स्थिति के अनुसार)			
उत्पाद समूह	**यथानुपातिक आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**अंतिम स्टॉक**
यूरिया	108.30	152.38	45.30
डीएपी	35.87	36.70	13.18
एमओपी	6.57	12.93	6.69
एनपीकेएस	44.14	81.90	36.82

(ख): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं -

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आबंटित करता है और उपलब्धता की निरंतर निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांन्फ्रेंस की जाती हैं और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, राज्य सरकारें उर्वरकों की कालाबाज़ारी, जमाखोरी, घटिया गुणवत्ता और विपथन पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से प्रवर्तन गतिविधियाँ चलाती हैं ताकि किसानों को अत्यधिक कीमतें न चुकानी पड़ें। अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक की गई कार्रवाई रिपोर्ट **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ग): उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में परम्परागत उर्वरकों नामतः यूरिया, डीएपी, एमओपी, मिश्रित उर्वरक एनपी, एनपीके के अतिरिक्त फॉस्फेटिक उर्वरक जैसे एसएसपी, टीएसपी, जल में घुलनशील मिश्रित उर्वरक, सूक्ष्म-पोषक उर्वरक, लाभकारी तत्व उर्वरक, ऑर्गैनिक उर्वरक, सल्फर आधारित उर्वरक, जैव उर्वरक को उनकी कृषि दक्षता का मूल्यांकन करने के बाद निर्दिष्ट किया गया है।

इसके अलावा, गोबरधन पहल के तहत सीबीजी संयंत्रों में उत्पादित मृदा कार्बन संवर्द्धकों अर्थात किण्वित जैविक खाद (एफओएम)/तरलीकृत एफओएम और जैविक उर्वरकों अर्थात फॉस्फेट समृद्ध जैविक खाद (पीआरओएम) को बढ़ावा देने के लिए सीबीजी इकाइयों को 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) दी जाती है।

सरकार की इन पहलों से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग का समाधान होने की आशा है जिससे रासायनिक उर्वरकों के अति प्रयोग में कमी आएगी। 21.07.2025 की स्थिति के अनुसार एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम की वर्षवार बिक्री निम्नानुसार है:

	एफओएम	**एलएफओएम**	**पीआरओएम**	**कुल**
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिक्री	27,899.62	28,159.00	0.00	56,058.62
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बिक्री	1,06,620.15	2,28,181.00	1,490.16	3,36,291.30
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बिक्री (21-07-2025 तक)	1,06,916.92	2,21,169.00	1,133.84	3,29,219.76
कुल	2,41,436.69	4,77,509.00	2,624.00	7,21,569.68

****

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 25.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1121 के उत्तर से संबंधित है।

25 अप्रैल से 25 जुलाई तक की गई कार्रवाई रिपोर्ट (18.07.2025 की स्थिति के अनुसार)													
		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन		
	निरीक्षणों /छापों की संख्या	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज की गई एफआईआर	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज की गई एफआईआर	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज की गई एफआईआर	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज की गई एफआईआर
अखिल भारत	111983	2207	1674	90	272	48	4	1034	57	7	922	237	24